भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

07.02.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 884 का उत्तर

तमिलनाडु में स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे

884. श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री सुनील कुमार:
श्री ए. राजा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;
(ख) ऐसे स्टेशनों की मंडल-वार संख्या कितनी है, जहां सीसीटीवी कैमरों का प्रचालन पूर्णत: चालू कर दिया गया है;
(ग) शेष स्टेशनों को कब तक कवर किए जाने की संभावना है और इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और
(घ) यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किन सुधारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

तमिलनाडु में स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे के संबंध में दिनांक 07.02.2024 को लोक सभा में श्री ए. गणेशमूर्ति, श्री सुनील कुमार और श्री ए. राजा के अतारांकित प्रश्न संख्या 884 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना एक सतत प्रक्रिया है। तमिलनाडु में स्थित रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्य की स्वीकृति दे दी गई है। वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित विभिन्न स्टेशनों पर 1280 सीसीटीवी कैमरे मुहैया कराए गए हैं।

तमिलनाडु दक्षिण रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। इन रेलों पर सीसीटीवी परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय भारतीय रेल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय इस प्रकार हैं:

i. **भेद्य और चिहिन्त मार्गों/खडों पर विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा रेलगाड़ियों के प्रतिदिन किए जा रहे मार्गरक्षण के अतिरिक्त रेल सुरक्षा बल द्वारा भी रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।**
ii. **तत्काल सहायता के लिए यात्री रेल मदद पोर्टल पर सीधे या हेल्पलाइन नंबर 139 [आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।**
iii. **यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे ट्विटर, फेसबुक, कू आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है।**
iv. **चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के प्रति सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को शिक्षित करने हेतु जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं।**
v. **यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान आवश्यक एहतियाती उपाय करने के संबंध में शिक्षित करने हेतु रेल परिसर और रेलगाड़ी में पोस्टर, बैनर, पर्चे के वितरण, रेल डिस्प्ले नेटवर्क (आरडीएन) पर वीडियो आदि के माध्यम से नियमित आधार पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।**
vi. **'मेरी सहेली' पहल के तहत, लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेली यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की उनकी पूरी यात्रा अर्थात प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक के दौरान उनकी संरक्षा और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।**
vii. **रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई है।**
viii. **यात्रियों की संवर्धित सुरक्षा के लिए सवारी डिब्बों में उत्तरोत्तर सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।**

*****